



भारतीय संसद
राज्य सभा

प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना

244^{वां}
सत्र

15 दिसम्बर, 2017 से 5 जनवरी, 2018 तक



राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

इस प्रकाशन का अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है।



सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना

244^{वां}
सत्र

15 दिसंबर, 2017 से 5 जनवरी, 2018 तक



राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

वेबसाइट : <http://rajyasabha.nic.in>

ई-मेल : rsqns@sansad.nic.in

यह पुस्तिका राज्य सभा की वेबसाइट <http://rajyasabha.nic.in> पर प्रश्न-सत्रवार सांख्यिकी रिपोर्ट लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध है

प्रस्तावना

इस पुस्तिका में राज्य सभा के दो सौ चवालीसवें सत्र के दौरान प्राप्त हुई प्रश्नों की सूचनाओं और उनके निपटारे से संबंधित सांख्यिकीय सूचना दी गई है। इसमें ग्यारह विवरण हैं, जिनमें सत्र के दौरान निपटाए गए प्रश्नों से संबंधित आंकड़ों से संकलित की गई विभिन्न प्रकार की सूचना दी गई है। विवरण संख्या-X में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो एक नज़र में प्रश्नों से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण बातों को दर्शाते हैं।

नई दिल्ली:

22 जनवरी, 2018

2 माघ, 1939 (शक)

देश दीपक वर्मा,

महासचिव।

विषय-सूची

पृष्ठ

I.	प्रत्येक समूह के अंतर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं को दर्शाने वाला विवरण.....	1
II.	प्रत्येक बैठक के लिए प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं को दर्शाने वाला विवरण.....	2
III.	तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला सार	3
IV.	प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय सार जिसमें प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या और उनके निपटारे को दर्शाया गया है	4-8
V.	उन विषयों को दर्शाने वाला विवरण जिनके संबंध में यथेष्ट संख्या में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर दिए गए.....	9-10
VI.	तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण ..	11
VII.	अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटारे को दर्शाने वाला सार.....	12
VIII.	प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर आधे घंटे की चर्चा आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण	13
IX.	राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के संबंध में पहले दिए जा चुके उत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/सभा पटल पर रखे गए विवरणों का सार	14
X.	राज्य सभा में पूछे गए प्रश्नों और उनके उत्तर के संबंध में कुछ रोचक तथ्य.....	15-17
XI.	राज्य सभा में प्रश्नों के समय को सुचारु रूप से चलाने के लिए की गई टिप्पणियों/दिए गए निदेशों/विनिर्णयों को दर्शाने वाला विवरण.....	18

विवरण-I

प्रत्येक समूह के अन्तर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं को दर्शाने वाला विवरण

समूह I

रक्षा; पेयजल और स्वच्छता; पृथ्वी विज्ञान; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन; सूचना 1122
और प्रसारण; खान; पंचायती राज; सड़क परिवहन और राजमार्ग; ग्रामीण विकास; विज्ञान
और प्रौद्योगिकी; पोत परिवहन; वस्त्र; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण।

समूह II

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष); नागर 1176
विमानन; कॉरपोरेट कार्य; वित्त; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; अल्पसंख्यक कार्य; नवीन
और नवीकरणीय ऊर्जा; विद्युत।

समूह III

वाणिज्य और उद्योग; संस्कृति; गृह; श्रम और रोजगार; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम; 1363
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; कौशल विकास और उद्यमिता; इस्पात; पर्यटन; युवक
कार्यक्रम और खेल।

समूह IV

प्रधानमंत्री; परमाणु ऊर्जा; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास; विदेश; भारी उद्योग और लोक उद्यम; 1393
आवासन और शहरी कार्य; मानव संसाधन विकास; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन;
योजना; सामाजिक न्याय और अधिकारिता; अंतरिक्ष; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन;
जनजातीय कार्य; महिला एवं बाल विकास।

समूह V

कृषि एवं किसान कल्याण; रसायन और उर्वरक; कोयला; संचार; उपभोक्ता मामले, खाद्य 1786
और सार्वजनिक वितरण; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग;
विधि और न्याय; संसदीय कार्य; रेल।

योग:

6840

विवरण - II

प्रत्येक बैठक के लिए प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	प्राप्त तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	प्राप्त अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	कुल प्राप्त सूचनाएं	हिन्दी में प्राप्त सूचनाएं
1	2	3	4	5	6
1.	15.12.2017	207	96	303	27
2.	18.12.2017	333	145	478	66
3.	19.12.2017	341	148	489	56
4.	20.12.2017	287	132	419	58
5.	21.12.2017	309	137	446	61
6.	22.12.2017	356	135	491	84
7.	27.12.2017	285	176	461	56
8.	28.12.2017	281	180	461	68
9.	29.12.2017	299	171	470	83
10.	01.01.2018	406	238	644	94
11.	02.01.2018	425	262	687	103
12.	03.01.2018	298	185	483	77
13.	04.01.2018	289	197	486	72
14.	05.01.2018	328	194	522	94
योग		4444	2396	6840	999

विवरण-III

तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला सार

प्रश्नों की श्रेणी	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत	एक से अधिक नामों से गृहीत	पृथक की गई सूचनाएं	अस्वीकृत	व्यपगत	लौटाई गई	वापस ली गई	रद्द की गई
तारांकित	4444	210	-	10	228	2568	10	-	1
अतारांकित	2396	2239+	404++	2	191	967	10	-	-
योग:	6840	2449	404	12	419	3535	20	-	1

८

+ इसमें तारांकित प्रश्नों की 1226 सूचनाएं सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के रूप में गृहीत किया गया।

++ इसमें तारांकित प्रश्नों की 191 ऐसी सूचनाएं सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के रूप में एक से अधिक नामों से गृहीत किया गया।

विवरण-IV

प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय सार जिसमें प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या और उनके निपटारे को दर्शाया गया है

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, प्रश्नों की हिन्दी में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या को दर्शाते हैं)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत		एक से अधिक नामों से गृहीत	पृथक-पृथक की गई सूचनाएं	अस्वीकृत	व्यपगत	लौटाई गई/वापस ली गई/रद्द की गई	मौखिक रूप से उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
			तारांकित	अतारांकित							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	प्रधानमंत्री	5(1)	-	-	-	-	5(1)	-	-	-	-
2.	कृषि एवं किसान कल्याण	422(98)	13(4)	161(31)	32(11)	2(2)	31(9)	183(41)	-	3	13
3.	परमाणु ऊर्जा	30(1)	2(1)	16(0)	0(0)	-	-	12(0)	-	-	-
4.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	46(2)	0(0)	11(1)	0(0)	-	1(0)	34(1)	-	-	-
5.	रसायन और उर्वरक	98(8)	2(0)	39(4)	2(0)	-	4(0)	51(4)	-	-	-
6.	नागर विमानन	171(21)	4(2)	48(7)	12(2)	-	16(3)	90(7)	1(0)	3	5
7.	कोयला	92(9)	3(0)	34(2)	4(0)	-	1(1)	50(6)	-	1	2
8.	वाणिज्य और उद्योग	217(21)	5(0)	73(7)	9(4)	-	16(4)	114(6)	-	-	-

G

9.	संचार	144(18)	4(1)	56(5)	7(0)	-	8(1)	69(11)	-	1	5
10.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	170(23)	4(1)	57(5)	9(2)	1(0)	8(0)	91(15)	-	2	5
11.	कारपोरेट कार्य	30(3)	1(0)	7(0)	-	-	-	22(3)	-	-	-
12.	संस्कृति	72(13)	5(2)	29(6)	1(0)	-	4(2)	33(3)	-	-	-
13.	रक्षा	189(16)	9(1)	60(6)	10(1)	-	6(0)	102(8)	2(0)	-	-
14.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	11(2)	1(1)	2(0)	-	-	3(1)	5(0)	-	1	5
15.	पेयजल और स्वच्छता	89(19)	1(1)	22(8)	2(2)	-	8(1)	56(7)	-	-	-
16.	पृथ्वी विज्ञान	23(3)	1(0)	3(0)	-	-	-	19(3)	-	-	-
17.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	161(12)	6(0)	55(5)	12(0)	-	5(0)	82(7)	1(0)	2	8
18.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	215(31)	7(2)	60(4)	13(8)	-	6(2)	129(15)	-	-	-
19.	विदेश	175(16)	3(0)	51(3)	8(3)	-	14(0)	99(10)	-	-	-
20.	वित्त	411(61)	14(1)	102(17)	28(14)	-	8(0)	253(29)	6(0)	11	27
21.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	43(6)	1(0)	12(3)	2(0)	-	3(1)	25(2)	-	-	-
22.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	325(49)	5(1)	89(10)	17(4)	-	9(3)	205(31)	-	5	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	49(2)	2(0)	15(0)	2(0)	-	3(0)	27(2)	-	-	-
24.	गृह	462(54)	13(1)	171(20)	29(10)	-	28(7)	214(16)	7(0)	-	-
25.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन	208(26)	7(2)	84(8)	12(3)	1(0)	18(2)	86(11)	-	1	0
26.	मानव संसाधन विकास	397(63)	13(1)	135(25)	33(16)	-	62(5)	154(16)	-	2	10
27.	सूचना और प्रसारण	45(0)	1(0)	9(0)	1(0)	-	2(0)	32(0)	-	-	-
28.	श्रम और रोजगार	208(49)	7(0)	77(19)	14(11)	-	15(3)	95(16)	-	-	-
29.	विधि और न्याय	151(12)	6(0)	46(2)	11(1)	3(0)	17(1)	68(8)	-	1	4
30.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	43(3)	2(1)	14(0)	3(0)	-	2(0)	22(2)	-	-	-
31.	खान	16(3)	-	3(1)	-	-	-	13(2)	-	-	-
32.	अल्पसंख्यक कार्य	39(2)	1(0)	11(0)	-	-	4(1)	23(1)	-	-	-
33.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	58(6)	3(0)	23(3)	1(0)	-	-	31(3)	-	2	10
34.	पंचायती राज	25(2)	-	8(2)	1(0)	-	1(0)	15(0)	-	-	-
35.	संसदीय कार्य	18(2)	-	3(0)	-	-	3(0)	12(2)	-	-	-

36.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	53(7)	2(1)	17(3)	-	1(1)	5(0)	28(2)	-	-	-
37.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	133(13)	4(1)	46(3)	5(0)	-	6(0)	72(9)	-	-	-
38.	योजना	26(5)	-	10(3)	1(0)	-	3(0)	12(2)	-	-	-
39.	विद्युत	96(15)	2(1)	29(5)	5(0)	-	1(0)	59(9)	-	-	-
40.	रेल	487(100)	21(4)	176(38)	43(20)	2(2)	26(6)	219(30)	-	6	27
41.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	155(25)	1(1)	43(10)	10(6)	-	9(5)	88(4)	4(0)	-	-
42.	ग्रामीण विकास	104(20)	3(1)	29(4)	2(1)	-	4(2)	66(12)	-	1	-
43.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	24(3)	1(0)	9(2)	2(0)	-	-	12(1)	-	-	-
44.	पोत परिवहन	37(1)	1(1)	14(0)	1(0)	-	3(0)	18(0)	-	-	-
45.	कौशल विकास और उद्यमिता	73(15)	5(1)	22(3)	6(4)	-	2(1)	38(6)	-	-	-
46.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	178(40)	10(0)	47(10)	23(17)	2(1)	19(5)	77(7)	-	4	11
47.	अंतरिक्ष	17(0)	1(0)	7(0)	1(0)	-	4(0)	4(0)	-	-	-
48.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	10(2)	-	3(0)	2(0)	-	1(1)	4(1)	-	-	-
49.	इस्पात	38(5)	1(1)	12(1)	4(2)	-	2(0)	19(1)	-	-	-

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	वस्त्र	57(13)	1(0)	18(5)	8(5)	-	2(0)	28(3)	-	-	-
51.	पर्यटन	69(8)	3(0)	23(2)	3(0)	-	2(1)	38(5)	-	-	-
52.	जनजातीय कार्य	69(12)	2(1)	23(4)	-	-	2(0)	42(7)	-	-	-
53.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	143(23)	4(1)	42(8)	3(0)	-	4(0)	90(14)	-	-	-
54.	महिला एवं बाल विकास	165(24)	2(1)	70(11)	10(2)	-	10(0)	73(10)	-	-	-
55.	युवक कार्यक्रम और खेल	48(10)	-	13(1)	-	-	3(1)	32(8)	-	-	-
योग		6840(999)	210(38)	2239(317)	404(149)	12(6)	419(70)	3535(419)	21(0)	46	144

विवरण - V

उन विषयों को दर्शाने वाला विवरण जिनके संबंध में यथेष्ट संख्या में प्रश्नों के उत्तर दिए गए

क्रम सं	मंत्रालय/विभाग का नाम	विषय	गृहीत प्रश्नों की संख्या		पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या	
			तारांकित	अतारांकित		
1	2	3	4	5	6	
1.	कृषि एवं किसान कल्याण	किसानों की आय/कल्याण	-	12	-	
		फसल बीमा/प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना	2	11	-	
2.	परमाणु ऊर्जा	परमाणु विद्युत संयंत्र/उत्पादन	-	10	-	
3.	नागर विमानन	एयर इंडिया का कार्यकरण/कार्यनिष्पादन	1	10	-	
		विमान पतनों का विकास और आधुनिकीकरण	3	7	4	
6	4.	वाणिज्य एवं उद्योग	निर्यात/आयात	2	20	-
	5.	संचार	इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवा	0	15	1
	6.	संस्कृति	स्मारक	2	12	-
	7.	रक्षा	भारतीय सेना	-	11	-
	8.	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	साईबर अपराध/सुरक्षा	2	9	3
		आधार	2	19	-	

9.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	प्रदूषण	3	13	-
		वन्य जीव/जंगली जानवर	1	9	-
10.	वित्त	जीएसटी	2	13	10
11.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	रोग/स्वाइन फ्लू/डेंगू/मलेरिया /तपेदिक/ज़ीका आदि	1	14	3
12.	गृह	महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध	1	25	-
		जम्मू और कश्मीर	4	13	-
13.	आवासन और शहरी कार्य	स्मार्ट सिटी	-	11	-
14.	मानव संसाधन विकास	केन्द्रीय विद्यालय/ जवाहर नवोदय विद्यालय	2	10	-
		केन्द्रीय विश्वविद्यालय	-	12	-
15.	श्रम और रोजगार	असंगठित क्षेत्र कामगार	2	11	-
16.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	सौर ऊर्जा	1	10	-
		नवीकरणीय ऊर्जा	2	7	10
17.	रेल	रेल परियोजनाएं	5	13	9
		रेल दुर्घटनाएं और सुरक्षा के उपाय	5	19	5
18.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	टिकटिंग/किराया	1	10	-
		राष्ट्रीय राजमार्ग	-	16	-
19.	कौशल विकास और उद्यमिता	कौशल प्रशिक्षण	5	19	-

20.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	-	10	-
21.	महिला एवं बाल विकास	कुपोषण/ अपुष्ट भोजन	-	18	-

विवरण-VI

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में जिन 208 विवरणों को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, उनकी प्रतियां (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में) राज्य सभा के सूचना कार्यालय और लॉबी को भेज दी गई थीं ताकि उन्हें 16 जुलाई, 1952 को सभा में सभापति द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में प्रश्नों का समय आरंभ होने से आधे घंटे पूर्व सदस्यों में वितरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विवरण की एक-एक प्रति संबंधित सदस्यों की सीटों पर भी रख दी गई थी। इन विवरणों की अतिरिक्त प्रतियां अन्य सदस्यों के प्रयोग के लिए लॉबी में काउन्टर पर रख दी गई थीं।

विवरण-VII

अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटान को दर्शाने वाला सार

डायरी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय/ विभाग	निपटान	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
--------------	------	--------------	--------------------	--------	---

कोई नहीं

विवरण-VIII

प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर **आधे घंटे की चर्चा** आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण

डायरी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय/ विभाग	निपटान	चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
1.	बैंकों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर वसूली गयी धनराशि का उपयोग	श्रीमती छाया वर्मा	वित्त	अस्वीकृत	-
2.	युवाओं में बेरोज़गारी	सुश्री दोला सेन	श्रम और रोजगार	अस्वीकृत	-

अस्वीकृत: 2

विवरण-IX

राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा पहले दिए जा चुके प्रश्नों के उत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/सभा पटल पर रखे गए विवरणों का सार

क्रम संख्या	दिनांक	जिनके द्वारा वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया	प्रश्न संख्या जिसके संबंध में वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया	प्रश्न के उत्तर की तारीख	प्रश्न का विषय
1.	04.1.2018	श्री जयंत सिन्हा, नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	अतारॉकित प्रश्न 337	19.12.2017	उड़ान योजना

विवरण-X

राज्य सभा में पूछे गए प्रश्नों और उनके दिए गए उत्तरों के संबंध में कुछ रोचक तथ्य

1.	उन बैठकों की संख्या जिनमें आरंभ में प्रश्नों का समय रखा गया था	14
2.	उन बैठकों की संख्या जिनमें प्रश्नों का समय नहीं था	शून्य
3.	उन बैठकों की संख्या जिन्हें बिना कोई कार्य संपन्न किए स्थगित कर दिया गया	शून्य
4.	उन बैठकों की संख्या जिनके दौरान प्रश्नों का समय तो रखा गया था परन्तु सभा में किसी भी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिया गया	6 (15.12.2017, 20.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 27.12.2017 तथा 3.1.2018 को)
5.	निरस्त बैठकों की संख्या	1 (1.1.2018 को)
6.	प्रश्नों का समय रखे बिना बढ़ाई गई बैठकों की संख्या (विशेष बैठक)	शून्य
7.	हिन्दी में प्राप्त हुए प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) की संख्या	999
8.	उन सदस्यों की संख्या जिनसे सूचनाएं प्राप्त हुईं	140
9.	तारांकित प्रश्नों के बैलेट में सर्वाधिक बार आने वाले किसी सदस्य का नाम	7 (श्री रीताब्राता बनर्जी का नाम)
10.	उन तारांकित प्रश्नों की संख्या जिनके मौखिक उत्तर दिये गये	46
11.	उन तारांकित प्रश्नों की संख्या जिन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये	44
12.	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या	144
13.	उन प्रश्नों की संख्या जिनके लिखित उत्तर राज्य सभा के पटल पर रखे गये	2403
14.	किसी एक सदस्य से प्राप्त हुई सर्वाधिक सूचनाएं	138 (श्री शंकरभाई एन. वेगाड से)
15.	किसी एक सदस्य के नाम गृहीत और सूचीबद्ध तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या	32 (श्री ए.के. सेलवारराज के नाम)
16.	किसी एक सदस्य के नाम गृहीत और सूचीबद्ध तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की न्यूनतम संख्या	1 (श्रीमती कहकशां परवीन तथा श्री वायालार रवि के नाम)
17.	किसी एक सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या	6 (श्री हरिवंश द्वारा)
18.	किसी एक सदस्य द्वारा किसी एक दिन पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या	3 (श्री हरिवंश द्वारा 29.12.2017 को)
19.	जिस दिन तारांकित प्रश्न सूची में 15 से कम प्रश्न थे	शून्य

20.	एक दिन की सूची में रखे गए अतारांकित प्रश्नों की न्यूनतम संख्या	159 (22.12.2017 को)
21.	उन प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए	15 (2.1.2018 को)
22.	उन प्रश्नों की न्यूनतम संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए	6 (19.12.2017 को)
23.	सत्र आरंभ होने के बारे में संसदीय समाचार जारी होने के पश्चात् किसी एक दिन में प्राप्त हुई सूचनाओं की अधिकतम संख्या	977 (1.12.2017 को)
24.	किसी एक विषय पर जिन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गये उनकी सर्वाधिक संख्या	2 (जीएसटी के संबंध में)
25.	किसी एक प्रश्न पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या	5
26.	सदस्यों द्वारा किसी एक मंत्री के नाम संबोधित प्रश्नों की सूचनाओं की सर्वाधिक संख्या	487 (रेल मंत्री को)
27.	किसी एक मंत्री के नाम संबोधित गृहीत प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	197 (रेल मंत्री को)
28.	किसी एक मंत्री द्वारा मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	11 (वित्त मंत्री द्वारा)
29.	किसी एक मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए अनुपूरक प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	27 (वित्त मंत्री तथा रेल मंत्री द्वारा)
30.	उन प्रश्नों की संख्या जिनका उत्तर प्रभारी मंत्री की जगह अन्य मंत्री ने दिया	शून्य*
31.	प्रत्येक बैठक के लिए प्राप्त प्रश्नों की औसत संख्या	488.57
32.	प्रत्येक बैठक में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की औसत संख्या	3.28
33.	प्रत्येक बैठक में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की औसत संख्या (केवल उन बैठकों के लिए जब प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए थे)	6.57
34.	प्रत्येक बैठक में पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या	10.29

* तथापि दिनांक 4.1.2018 को माननीय सभापति के निदेश पर आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के स्थान पर तारांकित प्रश्न सं. 184 से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दिया गया।

35.	जिन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए ऐसे प्रत्येक प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या	3.13
36.	मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रत्येक प्रश्न पर लिया गया औसत समय	6.8 मिनट
37.	प्रश्नों के समय से आधे घण्टे पूर्व राज्य सभा के सूचना कार्यालय और लॉबी को भेजे गए प्रश्नों के उत्तरों से संबंधित विवरणों की कुल संख्या	208
38.	किसी एक दिन में प्रश्नों के संदर्भ में राज्य सभा के सूचना कार्यालय को भेजे गए विवरणों की सर्वाधिक संख्या	15
39.	सूचना कार्यालय और लॉबी को भेजे गए प्रश्न के संदर्भ में राज्य सभा के पटल पर रखा गया सबसे बड़ा विवरण	49 पृष्ठ (4.1.2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 192 के लिए)
40.	राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तरों के संशोधनार्थ मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों/रखे गए विवरणों की कुल संख्या	1

*

विवरण - XI

राज्य सभा में प्रश्नों के समय को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई समुक्तियों/दिए गए निदेशों/विनिर्णयों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	सभापति/ उपसभापति द्वारा की गई टिप्पणियां/दिए गए निदेश/विनिर्णय	तारीख	की गई समुक्तियां/दिए गए निदेश/विनिर्णय
1.	सभापति	02.1.2018	प्रश्नों के समय के दौरान सदस्यों की उपस्थिति "मुझे एक समुक्ति करनी है। आश्चर्य की बात है कि चार या पांच ऐसे सदस्य जिन्हें आज प्रश्न पूछने थे, सभा में उपस्थित नहीं हुए। उन्हें यह आज्ञादी है। मैं उनपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। परन्तु वहीं हमारी एक ज़िम्मेदारी भी है। यदि आप कोई प्रश्न दर्ज करते हैं, तो उसमें बहुत समय, ऊर्जा और साथ ही संसाधन व्यय होते हैं। सभा में नहीं आना एक अच्छी परिपाटी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए!"
2.	सभापति	04.1.2018	छोटे अनुपूरक प्रश्न/प्रश्न और सटीक उत्तर ".....जब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वे छोटे होने चाहिए। उत्तर भी सटीक होना चाहिए। अन्यथा, हम कई प्रश्नों को ले नहीं पाएंगे। आज सात से अधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सका। कृपया इस बात को ध्यान में रखिए....."